



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद् की सामान्य बैठक दिनांक: 07.11.2022 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० राजेश सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० गोपाल प्रसाद	सदस्य
3.	प्रो० सुनीता मूर्मु	सदस्य
4.	प्रो० आनन्द सेन गुप्ता	सदस्य
5.	डॉ० उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी	सदस्य
6.	डॉ० राजू कुमार गुप्ता	सदस्य
7.	डॉ० अजय कुमार मिश्र	सदस्य
8.	डॉ० प्रदीप कुमार राव	सदस्य
9.	प्रो० रामअचल सिंह	सदस्य
10.	प्रो० वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी (आनलाइन उपस्थित)	सदस्य
11.	प्रो० कल्पलता पाण्डेय	सदस्य
12.	श्री अनिल कुमार सिंह	सदस्य
13.	श्री संत प्रकाश सिंह,	वित्त अधिकारी
14.	श्री विशेश्वर प्रसाद, कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे मा० कुलपति जी के साथ-साथ कार्य परिषद् के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य अधिष्ठाता-वाणिज्य संकाय, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं डॉ० विजय प्रताप उपाध्याय, वाणिज्य विभाग, बी०आर०डी०बी०डी० पी०जी० कालेज आश्रम बरहज, देवरिया को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात् कुलसचिव द्वारा मा० कुलपति जी के निर्देश पर कार्यसूची क्रमशः पटल पर विचारार्थ प्रस्तुत की गयी।

कार्यवृत्त:-

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद् ने कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 27.09.2021 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि किया।
2.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2021 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 27.09.2021 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।
3.	कार्य परिषद् ने कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.10.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 30.10.2021 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि किया।
4.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.10.2021 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 30.10.2021 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।
5.	कार्य परिषद् ने कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 13.12.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया।

	सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 13.12.2021 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।
6.	कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 13.12.2021 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 13.12.2021 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।
7.	कार्य परिषद ने कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.04.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 30.04.2022 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।
8.	कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.04.2022 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 30.04.2022 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।
9.	कार्य परिषद ने विद्या परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 29.07.2022 के कार्यवृत्त की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विद्या परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 29.07.2022 के कार्यवृत्त की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
10.	कार्य परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 04.07.2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 04.07.2022 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
11.	कार्य परिषद ने विकास समिति की बैठक दिनांक 24.03.2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विकास समिति की बैठक दिनांक 24.03.2022 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
12.	कार्य परिषद ने विकास समिति की बैठक दिनांक 04.07.2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विकास समिति की बैठक दिनांक 04.07.2022 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
13.	कार्यालय आदेश संख्या-818/सा0प्र0/2021 दिनांक 05.10.2021 के द्वारा कार्यालय निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र संख्या-अधि0/2021/क दिनांक 15.07.2021 के क्रम में मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 01.10.2021 के अनुपालन में श्री द्विजेश चन्द्र लाल को दिनांक 27.07.2021 से लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दिये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
14.	कार्यालय आदेश संख्या-रिजेक्ट/सम्बद्धता/2021/2878 दिनांक 07.10.2021 के द्वारा प्रबन्धक, प्रज्ञा महाविद्यालय, नरचोचवा धर्मपुर पडरौना, कुशीनगर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत सात विषयों हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास एवं गृह विज्ञान विषयों की सम्बद्धता समाप्त करते हुए एफडीआर अवमुक्त करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
15.	कार्यालय आदेश संख्या-891/सा0प्र0/2021 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्धारित मानदेय के आधार पर नियुक्त डॉ0 मनीष मोहन श्रीवास्तव एवं डॉ0 सपना छापड़िया का दिनांक 07.09.2021 से एक वर्ष अथवा नई नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक के लिए सेवा विस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
16.	कार्यालय आदेश संख्या-924/सा0प्र0/2021 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 मुरली मनोहर पाठक, आचार्य एवं अध्यक्ष, संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग की श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कुलपति पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 16.19 एवं उसके विभिन्न उपबन्धों 16.19 (ii d) एवं 16.19 (iii) के अधीन कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 29.10.2021 से तीन वर्ष के लिए, असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करते हुए

	धारणाधिकार पूर्वक कार्यमुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।					
17.	अधिसूचना संख्या- 928/सा0प्र0/2021 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ के वादों में विश्वविद्यालय का पक्ष उपस्थापित करने हेतु निर्गत अधिसूचना पत्रांक 251/सा0प्र0/2021 दिनांक 03.04.2021 में निम्नवत् आशिक संशोधन किया जाता है- 1. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में श्री रोहित पाण्डेय, एडवोकेट अब पैनल अधिवक्ता के रूप में अधिकृत रहेंगे। 2. श्री शशि प्रकाश राय, एडवोकेट एवं पैनल अधिवक्ता, (पता-1441, किवदई नगर, अल्लापुर, प्रयागराज) को विश्वविद्यालय की ओर से समस्त याचिकाओं/मुकदमों में विधिक नोटिस/सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकृत किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त अधिसूचना से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।					
18.	कार्यालय आदेश संख्या-सम्बद्धता/2021/05-1764 दिनांक 22.05.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में गुरु गोरक्षनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग, गोरखनाथ, गोरखपुर की सम्बद्धता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से समाप्त करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।					
19.	कार्यालय ज्ञाप संख्या- 935/सा0प्र0/2021 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा प्रो0 सतीश चन्द्र पाण्डेय का नियन्ता के रूप में कार्यकाल दिनांक 18.10.2021 को समाप्त हो गया है। मा0 कुलपति जी के आदेश के क्रम में कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम की धारा 02.26 के अन्तर्गत प्रो0 सतीश चन्द्र पाण्डेय, आचार्य, रक्षा एवं स्नातक अध्ययन विभाग के विश्वविद्यालय नियन्ता का कार्यकाल दिनांक 18.10.2021 से 01 (एक) वर्ष के लिये विस्तारित किये जाने सम्बन्धी ज्ञाप से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त ज्ञाप से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।					
20.	कार्य परिषद् ने चतुर्थ संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का उनके मौलिक पद पर सेवाअवधि एक वर्ष से अधिक होने के फलस्वरूप इनके स्थायीकरण पर विचार किया।					
	क्र.स.	नाम	पद	विभाग	नियुक्ति तिथि	वर्ग
	1.	श्री आनन्द कुमार तिवारी	परिचर	सामान्य प्रशासन अनुभाग	23.05.2020	GEN
	सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने चतुर्थ संवर्ग में कार्यरत श्री आनन्द कुमार तिवारी, परिचर, सामान्य प्रशासन अनुभाग का उनके मौलिक पद पर सेवाअवधि एक वर्ष से अधिक होने के फलस्वरूप इनके स्थायीकरण किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान किया।					
21.	कार्यालय आदेश संख्या-1043/सा0प्र0/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा डॉ0 प्रेम प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, ए0एन0डी0 किसान पी0जी0 कालेज, बभनान, गोण्डा के आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2021 पर मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 04.11.2021 के अनुपालन में डॉ0 प्रेम प्रकाश पाण्डेय, डा0ई0आ0, दी0द0उ0गो0वि0, गोरखपुर को पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश पत्रांक 1382/सा0प्र0/2020 दिनांक 11.11.2020 द्वारा दिनांक 11.11.2020 से दिनांक 10.11.2021 तक एक वर्ष के लिए स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश को दिनांक 11.11.2021 से दिनांक 10.11.2022 तक एक वर्ष के लिए विस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।					
22.	स्ववित्तपोषित महाविद्यालय प्रबन्धक महासभा, 381, आमबाजार, गोरखपुर (उ0प्र0) के पत्र दिनांक 09.11.2021 द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर रू0 150.00 प्रति छात्र, प्रति सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारण के निर्णय पर पुनर्विचार के सम्बन्ध में निर्णय लेना। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति में लिये गये निर्णय को स्वीकार किया।					
23.	कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1093/सा0प्र0/2021 दिनांक 08.12.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची को अद्यतन करने हेतु गठित समिति की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 04.12.2021 के क्रम में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आचार्य/सहयुक्त आचार्य/सहायक आचार्य संवर्गों की वरिष्ठता सूची जारी किये जाने सम्बन्धी ज्ञाप से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त ज्ञाप से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की साथ ही समिति के सदस्यों द्वारा					

	कुलसचिव को ये सुझाव दिया गया कि जारी की गई अंतिम वरिष्ठता सूची को त्रुटिरहित के लिए एक बार पुनः शिक्षकों से आपत्ति पर प्रत्यावेदन मांग लिया जाय।
24.	कार्यालय आदेश संख्या-1127/सा0प्र0/2021 दिनांक 18.12.2021 के द्वारा आचार्य संवर्ग में नवीन वरिष्ठता सूची (अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 08.12.2021) जारी होने के क्रम में प्रो० विजय कुमार, आचार्य, गणित सांख्यिकी विभाग, प्रो० विजय शंकर वर्मा, आचार्य, गणित सांख्यिकी विभाग से वरिष्ठ होने के कारण चक्रानुक्रम में विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 18.12.2021 के अनुपालन में प्रो० विजय कुमार को कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
25.	कार्यालय आदेश संख्या-1128/सा0प्र0/2021 दिनांक 18.12.2021 के द्वारा आचार्य संवर्ग में नवीन वरिष्ठता सूची (अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 08.12.2021) जारी होने के क्रम में प्रो० लल्लन यादव, आचार्य, भौतिक विभाग, प्रो० शान्तनु रस्तोगी, आचार्य, भौतिकी विभाग से वरिष्ठ होने के कारण चक्रानुक्रम में विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 18.12.2021 के अनुपालन में प्रो० लल्लन यादव को कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
26.	कार्यालय आदेश संख्या- 1129/सा0प्र0/2021 दिनांक 18.12.2021 के द्वारा आचार्य संवर्ग में नवीन वरिष्ठता सूची दिनांक 08.12.2021 जारी होने के क्रम में मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 18.12.2021 के अनुपालन में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 27(4) के अन्तर्गत चक्रानुक्रम में प्रो० अजय सिंह, आचार्य, प्राणि विज्ञान विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
27.	कार्यालय आदेश संख्या- 1133/सा0प्र0/2021 दिनांक 21.12.2021 के द्वारा प्रो० अनिल कुमार राय, हिन्दी विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 28.12.2021 को पूर्ण होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार एवं मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 21.12.2021 के अनुपालन में हिन्दी विभाग के वरिष्ठतम आचार्य प्रो० कमलेश कुमार गुप्त के निलम्बित होने के कारण अगले वरिष्ठतम आचार्य प्रो० दीपक प्रकाश त्यागी को दिनांक 29.12.2021 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तथा प्रो० त्यागी हिन्दी विभाग के साथ-साथ अध्यक्ष, संस्कृत विभाग के कार्यों का निर्वहन करगें सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
28.	कार्यालय आदेश संख्या-1134/सा0प्र0/2021 दिनांक 21.12.2021 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27.04 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 21.12.2021 के अनुपालन में प्रो० अवधेश कुमार तिवारी, अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय के दिनांक 02.01.2022 के अपराहन से सेवानिवृत्त होने की स्थिति में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत वाणिज्य संकाय के वरिष्ठतम आचार्य प्रो० विनय कुमार पाण्डेय, आचार्य, वाणिज्य विभाग को दिनांक 03.01.2022 से 03 वर्ष अथवा उनकी सेवानिवृत्ति तिथि या कोई अन्य आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
29.	संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या-संख्या-196/संतर-1-2022-16 (74)/2018 टी०सी० दिनांक 20 जनवरी 2022 से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त पत्र से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
30.	कार्यालय आदेश संख्या-166/सा0प्र0/2022 दिनांक 09/02/2022 के द्वारा आवास आवंटन हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 14.09.2021 की संस्तुति एवं मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित आवास आवंटित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।

कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

31. कार्यालय आदेश संख्या-310/सा0प्र0/2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में स्वास्थ्य केन्द्र में निश्चित मानदेय पर कार्यरत डॉ0 मनीष मोहन श्रीवास्तव का त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है। डॉ0 श्रीवास्तव द्वारा त्यागपत्र देने के कारण मा0 कुलपति के आदेश पर डॉ0 आदित्य विक्रम सिंह को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निश्चित मानदेय पर एक वर्ष अथवा अन्य आदेश तक चिकित्सा सेवा प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे कार्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।
कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

32. पत्र संख्या-09/कु0स0का0/2022 दिनांक 05.03.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 05.03.2022 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पैनल अधिवक्तागण के मध्य मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, में विश्वविद्यालय के लम्बित रिट याचिकाओं की पैरवी करने हेतु अधिकृत किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना से अवगत होना।

क्र.स.	अधिवक्ता का नाम	पद	आंवटित रिट याचिका
1.	श्री विनोद कुमार सिंह, बंजारी हाऊस 52 ए म्योर रोड राजापुर, प्रयागराज	वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता	संलग्न सूची के क्र. स. 1 से 100 तक
2.	श्री शुभान्शु शेखर, 52 ए म्योर रोड राजापुर, प्रयागराज	पैनल अधिवक्ता	वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनोद कुमार सिंह को आंवटित रिट याचिका में सहयोग करेंगे।

कार्य परिषद् ने उक्त अधिसूचना से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

33. पत्र संख्या-10/कु0स0का0/2022 दिनांक 05.03.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 05.03.2022 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पैनल अधिवक्ता को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, में विश्वविद्यालय के लम्बित रिट याचिकाओं की पैरवी करने हेतु अधिकृत किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना से अवगत होना-

क्र.स.	अधिवक्ता का नाम	पद	आंवटित रिट याचिका
1.	श्री के0के0 राव, डी-101 गोल्डेन हाईट अपार्टमेंट, चौफाटका, प्रयागराज	पैनल अधिवक्ता	संलग्न सूची के क्र.स. 101 से 110 तक

कार्य परिषद् ने उक्त अधिसूचना से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

34. कार्यालय आदेश संख्या-390/सा0प्र0/2022 दिनांक 04.04.2022 के द्वारा प्रो0 मुकुन्द शरण त्रिपाठी, इतिहास विभाग दिनांक 03.04.2022 को 62 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 03.04.2022 के अनुपालन में इतिहास विभाग में चक्रानुक्रम में वरिष्ठ आचार्य प्रो0 चन्द्रभूषण गुप्त, को दिनांक 04.04.2022 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।

कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

35. कार्य परिषद् ने डॉ0 विमलेन्दु अधिकारी, सहायक आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग, के त्यागपत्र दिनांक 14.06.2021 से स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार किया।
कार्य परिषद् ने डॉ0 विमलेन्दु अधिकारी, सहायक आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग, के त्यागपत्र दिनांक 14.06.2021 से स्वीकृति प्रदान किया।

36. संशोधित अधिसूचना संख्या-63/वि0प्र0/2022 दिनांक 19.04.2022 के द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्रांक 11/कु0स0का0/2022 दिनांक 05 मार्च 2022 में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार संशोधन किया जाता है। विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ता श्री विनय कुमार मिश्र 2/3 अवध बिहारी कालोनी, निकट सेक्टर-11, इन्द्रानगर लखनऊ एवं इनके सहयोगी पैनल अधिवक्ता श्री

दीपक सिंह, निवासी कुमुद सदन, बी-1/132 सी.सेक्टर-जी, जानकीपुरम्, लखनऊ को मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ बेंच में विश्वविद्यालय के सभी लम्बित रिट याचिकाओं की पैरवी करने हेतु अधिकृत किया जाता है। इस पत्र के साथ लम्बित रिट याचिकाओं की सूची संलग्न है।
मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, के लखनऊ बेंच में पैरवी हेतु वाद/याचिका की नोटिस पैनल अधिवक्ता श्री विनय कुमार मिश्रा प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करेंगे सम्बन्धित अधिसूचना से अवगत होना।

कार्य परिषद् ने उक्त अधिसूचना से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।

37. कार्यालय आदेश संख्या-649/सा०प्र०/2022 दिनांक 25.05.2022 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ० कपिन्दर, सहा० आचार्य, प्राणि विज्ञान विभाग का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पत्रांक 05/R/1524/2022 दिनांक 21.05.2022 के तहत सहयुक्त आचार्य पद पर प्राणि विज्ञान विषय में नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 16.19 एवं उसके विभिन्न उपबन्धों 16.19(ii d) एवं 16.19(iii) के अधीन कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 26.05.2022 से एक वर्ष तक के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है और दिनांक 25.05.2022 को अपराहन से कार्यमुक्त किया जाता है। इनका धारणाधिकार (Lien) नियमानुसार इस विश्वविद्यालय में सुरक्षित रहेगा सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।

कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।

38. कार्यालय आदेश संख्या-669/सा०प्र०/2022 दिनांक 30.05.2022 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 29.05.2022 के अनुपालन में तृतीय श्रेणी लिपिकीय संवर्ग में प्रोन्नति हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 12.11.2021 में की गई संस्तुति एवं उक्त की समीक्षा हेतु गठित समिति की बैठक में की गयी संस्तुति की तिथि 12.02.2022 के क्रम में निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर अस्थायी रूप से प्रोन्नति प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।

क्र.स	कर्मचारी का नाम	विभाग/अनुभाग	वर्तमान पद	प्रोन्नति पद
1.	श्री संजय यादव	अधिष्ठाता-छात्र कल्याण	कनिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2000	वरिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2800
2.	श्रीमती सुनीता भारद्वाज	केन्द्रीय ग्रंथालय	कनिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2000	वरिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2800
3.	श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह	अधिष्ठाता-छात्र कल्याण	कनिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2000	वरिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2800
4.	श्री राजेश कुमार गोंड	सामान्य प्रशासन/RAC	कनिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2000	वरिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2800
5.	श्री सुनील कुमार प्रसाद	सामान्य प्रशासन	कनिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2000	वरिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2800
6.	श्री सम्पूर्णानन्द मिश्र	लेखा अनुभाग	कनिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2000	वरिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2800
7.	श्री नरेश	परीक्षा सामान्य	कनिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2000	वरिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2800
8.	श्री शोभित पाण्डेय	सम्बद्धता अनुभाग	कनिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2000	वरिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2800
9.	श्री कृष्ण मूरत शुक्ल	अभियांत्रिकी	कनिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2000	वरिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2800
10.	श्री रामचन्द्र	हिन्दी विभाग	कनिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2000	वरिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2800
11.	श्री विनोद कुमार	परीक्षा सामान्य	कनिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2000	वरिष्ठ सहायक 5200-20200, ग्रेड पे-2800

कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।

39. कार्य परिषद् ने श्री एहसान उल्लाह, पंच आपरेटर, कम्प्यूटर सेन्टर के आवेदन दिनांक 19.04.2022 पर मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 29.06.2022 के अनुपालन में श्री एहसान उल्लाह, पंच आपरेटर द्वारा अर्हकारी 20 वर्ष की सेवा अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के उपरान्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित पत्र पर विचार किया।
सम्यक् विचारोपरान्त श्री एहसान उल्लाह, पंच आपरेटर, कम्प्यूटर सेन्टर के आवेदन दिनांक 19.04.2022 पर मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 29.06.2022 के अनुपालन में श्री एहसान उल्लाह, पंच आपरेटर द्वारा अर्हकारी 20 वर्ष की सेवा अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के उपरान्त स्वैच्छिक

	सेवानिवृत्त आदेश की तिथि से प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।
40.	कार्य परिषद ने श्री अतुल कुमार भारतीय, बुक अटेंडेंट केन्द्रीय ग्रंथालय के दिसम्बर 2018 से अनुपस्थित होने के कारण इनकी पत्रावली पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया। कुलसचिव द्वारा उक्त प्रकरण पर तथ्य रखने के पश्चात कार्य परिषद के सदस्यों द्वारा निर्देश दिया गया कि एक समिति गठित कर सम्पूर्ण तथ्यों पर परीक्षण कर अगली कार्य परिषद की बैठक में रखा जाय।
41.	कार्य परिषद ने श्री गिरीश कृष्ण पाण्डेय, बुक बाइन्डर (केन्द्रीय ग्रंथालय) के दिनांक 31.12.2012 से 06.04.2022 तक अनुपस्थित रहने के उपरान्त 07.04.2022 को कार्यभार ग्रहण कर लेने के पश्चात दिनांक 31.12.2012 से 06.04.2022 तक अनुपस्थित रहने पर इनकी पत्रावली पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया। कुलसचिव द्वारा उक्त प्रकरण पर तथ्य रखने के पश्चात कार्य परिषद के सदस्यों द्वारा निर्देश दिया गया कि एक समिति गठित कर सम्पूर्ण तथ्यों पर परीक्षण कर अगली कार्य परिषद की बैठक में रखा जाय।
42.	कार्यालय आदेश संख्या-798/सा0प्र0/2022 दिनांक: 02.07.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 24.06.2022 के अनुपालन में डॉ0 प्रशान्त शाही, सहायक आचार्य, भौतिकी विभाग को लैब इंस्टीट्यूट फॉर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, टोक्यो विश्वविद्यालय, जापान में इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस फेलोशिप प्रोग्राम में सम्मिलित होने हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिचय 16.12.02 के (i) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मा0 कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 01.08.2022 से दिनांक 31.01.2023 तक कुल 180 दिन अध्ययन अवकाश (Study Leave) स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। (प्रतिलिपि संलग्न) पुनः इनके द्वारा अपना 180 दिन अध्ययन अवकाश (Study Leave) स्थगित किया जाता है। कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
43.	मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 18.05.2022 के अनुपालन में प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, अ0प्र0 आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दी0द0उ0 गोरखपुर के द्वारा दिनांक 18.05.2022 को प्रेषित पत्र जो उनके दिनांक 06.12.2019 को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) के कुलपति के रूप में पांच वर्ष के लिये कार्य भार ग्रहण करने एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से दिनांक 30.06.2020 को प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग के पद से सेवा निवृत्त होने के उपरान्त चार माह तक तक सामान्य किराये पर विश्वविद्यालय आवास में रहना अनुमन्य है। तत्पश्चात कोविड-19 की महामारी के कारण इनका गोरखपुर से अमरकंटक नियमित आना-जाना सम्भव नहीं हो सका, इसलिए इनके द्वारा आवास खाली नहीं किया जा सका। वर्तमान में इनके नाम के आवास का आवंटन डॉ0 अमित कुमार उपाध्याय, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग के नाम से आवंटित हो चुका है। अतः इनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुये विशेष परिस्थितियों में इनके आवंटित आवास का किराया सामान्य किराये के रूप में अनुमति प्रदान की जाय। जिससे इनके द्वारा आवास का सम्पूर्ण बकाया किराया सामान्य दर से जमा कराकर अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर के पेंशन द्वारा अग्रोत्तर कार्यवाही की जा सके। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने उपरोक्त से अवगत होते हुये कोविड-19 के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में इनके आवंटित आवास का किराया सामान्य किराये के रूप में लिये जाने का निर्णय लिया।
44.	कार्यालय ज्ञाप संख्या-378/IQAC/2022 दिनांक 21.05.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी ने कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में नामित विभिन्न शिक्षकों द्वारा तैयार किये गये विभिन्न पॉलिसियों को अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित पॉलिसियों का विवरण निम्नवत है- (सम्बन्धित ज्ञाप से अवगत होना)(प्रतिलिपि संलग्न) <ol style="list-style-type: none"> 1. Intellectual Property Rights Policy 2. Information Technology and Communication Policy 3. Infrastructure Utilization and Maintenance Policy 4. Scholarships/Financial Support Policy for Students 5. International Relations and Support Policy 6. Code of Conduct and Ethics Policy 7. Incubation and Entrepreneurship Policy 8. Environment and Energy use Policy 9. Teacher Incentive Policy

	<p>10. Consultancy Policy 11. Policy For Promotion of Research 12. Student Grievance Redressal Policy 13. Policy For Persons with Disabilities(Divyangjan) 14. Policy For Transfer of Knowledge 15. Research Ethics Policy & Committee 16. Institutional Animal Ethics Policy & Committee 17. Institutional Human Ethics Policy & Committee 18. Institutional Biosafety Policy & Committee 19. Waste Management Policy कार्य परिषद् ने उक्त ज्ञाप से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।</p>
45.	<p>कार्यालय आदेश संख्या-937/सा0प्र0/2022 दिनांक 30.07.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 शरद कुमार मिश्र, आचार्य, बायोटेक्नोलॉजी विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 01.08.2022 को पूर्ण होने के उपरांत विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 30.07.2022 के अनुपालन में बायोटेक्नोलॉजी विभाग में चक्रानुक्रम में वरिष्ठतम आचार्य डॉ0 राजर्षि गौड़, आचार्य, बायोटेक्नोलॉजी विभाग को दिनांक 02.08.2022 से तीन वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना । कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।</p>
46.	<p>कार्यालय आदेश संख्या-938/सा0प्र0/2022 दिनांक 30.07.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 विनय कुमार पाण्डेय, वाणिज्य विभाग दिनांक 31.07.2022 को 62 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरांत विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 30.07.2022 के अनुपालन में वाणिज्य विभाग में चक्रानुक्रम में वरिष्ठ आचार्य डॉ0 आनन्दसेन गुप्ता, को दिनांक 01.08.2022 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिये विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना । कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।</p>
47.	<p>कार्यालय आदेश संख्या-942/सा0प्र0/2022 दिनांक 30.07.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 30.07.2022 के अनुपालन में प्रो0 मनीष मिश्र, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में दिनांक 03.08.2022 को कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 के बिन्दु सं0 (3 एवं 5) में प्रावधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत अधिष्ठाता विज्ञान संकाय दिनांक 04.08.2022 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष का कार्य देखने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना । कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।</p>
48.	<p>कार्यालय आदेश संख्या-943/सा0प्र0/2022 दिनांक 30.07.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 30.07.2022 के अनुपालन में प्रो0 दिव्यारानी सिंह, गृह विज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में दिनांक 03.08.2022 को कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 के बिन्दु सं0 (3 एवं 5) में प्रावधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत अधिष्ठाता विज्ञान संकाय दिनांक 04.08.2022 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए गृह विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष का कार्य देखने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना । कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।</p>
49.	<p>कार्यालय आदेश संख्या-944/सा0प्र0/2022 दिनांक 30.07.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 30.07.2022 के अनुपालन में डॉ0 उपेन्द्र नाथ तिवारी, कम्प्यूटर साइंस विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में दिनांक 03.08.2022 को कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 के बिन्दु सं0 (3 एवं 5) में प्रावधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत अधिष्ठाता विज्ञान संकाय दिनांक 04.08.2022 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए कम्प्यूटर साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष का कार्य देखने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना । कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।</p>

50.	कार्यालय आदेश संख्या--945/सा0प्र0/2022 दिनांक 30.07.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 30.07.2022 के अनुपालन में डॉ0 रजीउर रहमान, उर्दू विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में दिनांक 03.08.2022 को कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 के बिन्दु सं0 (3 एवं 5) में प्रावधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत अधिष्ठाता- कला संकाय कार्यभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष का कार्य देखने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।												
51.	कार्यालय आदेश संख्या--949/सा0प्र0/2021 दिनांक 01.08.2022 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27.04 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 30.07.2022 के अनुपालन में प्रो0 विनय कुमार पाण्डेय, अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय के दिनांक 31.07.2022 के अपराहन से सेवानिवृत्त होने की स्थिति में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत वाणिज्य संकाय के वरिष्ठतम आचार्य प्रो0 आनन्दसेन गुप्ता, आचार्य, वाणिज्य विभाग को दिनांक 01.08.2022 से 03 वर्ष अथवा उनकी सेवानिवृत्ति तिथि या कोई अन्य आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।												
52.	कार्यालय आदेश संख्या--962/सा0प्र0/2022 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 30.07.2022 के अनुपालन में प्रो0 लल्लन यादव, भौतिकी विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में दिनांक 18.08.2022 को 62 वर्ष अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानिक व्यवस्था के अनुसार भौतिकी विभाग के चक्रानुक्रम में वरिष्ठ आचार्य प्रो0 रविशंकर सिंह, को दिनांक 19.08.2022 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।												
53.	कार्यालय आदेश संख्या--1028/सा0प्र0/2022 दिनांक 20.08.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में स्व0 राम प्रताप शुक्ल छात्रावास के निम्नलिखित शिक्षकों को अभिरक्षक एवं अधीक्षक के रूप में नामित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>अभिरक्षक/अधीक्षक का नाम, पद एवं विभाग</th> <th>छात्रावास</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>प्रो. अजय सिंह, अधिष्ठाता-छात्र -कल्याण</td> <td>अभिरक्षक, स्व0 राम प्रताप शुक्ल</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>डॉ0 पवन कुमार, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग</td> <td>अधीक्षक, स्व0 राम प्रताप शुक्ल</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>डॉ0 आलोक कुमार सिंह, सहायक आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग</td> <td>अधीक्षक, स्व0 राम प्रताप शुक्ल</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	अभिरक्षक/अधीक्षक का नाम, पद एवं विभाग	छात्रावास	1.	प्रो. अजय सिंह, अधिष्ठाता-छात्र -कल्याण	अभिरक्षक, स्व0 राम प्रताप शुक्ल	2.	डॉ0 पवन कुमार, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग	अधीक्षक, स्व0 राम प्रताप शुक्ल	3.	डॉ0 आलोक कुमार सिंह, सहायक आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग	अधीक्षक, स्व0 राम प्रताप शुक्ल
क्र.स.	अभिरक्षक/अधीक्षक का नाम, पद एवं विभाग	छात्रावास											
1.	प्रो. अजय सिंह, अधिष्ठाता-छात्र -कल्याण	अभिरक्षक, स्व0 राम प्रताप शुक्ल											
2.	डॉ0 पवन कुमार, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग	अधीक्षक, स्व0 राम प्रताप शुक्ल											
3.	डॉ0 आलोक कुमार सिंह, सहायक आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग	अधीक्षक, स्व0 राम प्रताप शुक्ल											
	कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।												
54.	कार्यालय आदेश संख्या--1043/सा0प्र0/2022 दिनांक 25.08.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 राजन वालिया, सहा0 आचार्य का भौतिकी विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के पत्रांक सं0 05/R/2719/2022 दिनांक 01.08.2022 के तहत सहायक आचार्य पद पर भौतिकी विज्ञान विषय में नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 16.19 एवं उसके विभिन्न उपबन्धों 16.19 (ii d) एवं 16.19 (iii) के अधीन कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 26.08.2022 से एक वर्ष तक के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है और दिनांक 25.08.2022 को अपराहन से कार्यमुक्त किया जाता है। इनका धारणाधिकार (Lien) नियमानुसार इस विश्वविद्यालय में सुरक्षित रहेगा सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।												
55.	कार्यालय आदेश संख्या--1061/सा0प्र0/2022 दिनांक 30.08.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 नरेन्द्र कुमार राना, आचार्य, एवं अध्यक्ष भूगोल विभाग की नियुक्ति बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी में भूगोल विभाग में आचार्य पद पर हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 16.19 एवं उसके विभिन्न उपबन्धों के अधीन कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 23 अप्रैल, 2022 से दिनांक 22 अप्रैल 2023 तक पुनः एक वर्ष के लिए धारणाधिकार सहित असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।												

56.

कार्यालय आदेश संख्या-1088/सा0प्र0/2022 दिनांक 03.09.2022 के द्वारा with reference to the adoption of format supplied by UP Govt under New Education Policy (NEP) 2020, for formation of Faculties through order No 1276/70-3-2021-16 (26)/2011 dated 16-06-2021 and consequently approved by Academic Council dated 29-07-2022 the new Faculties Faculty under Section 7.01 Faculties are being placed in alphabetical order:-

Sr. No	Name of Faculty	Name of Dean
a.	Faculty of Agriculture	Addl. Charge to Dean of Science
b.	Faculty of Arts, Humanities & Social Sciences	Addl. Charge to Prof. Nandita Singh
c.	Faculty of Commerce	Prof. Anand Sengupta, Deptt. Of Commerce
d.	Faculty of Engineering & Technology	Addl. Charge to Dean Faculty of Science
e.	Faculty of Fine Art and Performing Art	Prof. Usha Singh, Deptt. of Fine art & Music
f.	Faculty of Language	Prof. Nandita Singh, Deptt. of English
g.	Faculty of Legal Studies	Prof. Ahmad Naseem, Deptt. of Law
h.	Faculty of Management	Addl. Charge to Prof. Anand Sengupta
i.	Faculty of Medicine	Principal B.R.D. Medical College, Gorakhpur
j.	Faculty of Rural Science	Prof. Dinesh Yadav, Deptt. of Zoology
k.	Faculty of Science	Prof. Ajay Singh, Deptt. of Zoology
l.	Faculty of Teacher Education	Prof. Shobha Gaur, Deptt. of Education
m.	Faculty of Vocational Courses	Prof. Rajarshi Kumar Gaur, Professor of Biotechnology

कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

57.

पत्रांक संख्या-1090/सा0प्र0/2022 दिनांक 04.09.2022 आदेश के अनुपालन में श्री हरिकेश बहादुर सिंह, एडवोकेट, वाराणसी बार सिविल कोर्ट के सामने, वाराणसी को विश्वविद्यालय के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में योजित वादों में यथोचित कार्यवाही के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के लीगल सेल एवं विभिन्न न्यायालयों में नामित अधिवक्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु समन्वयक नामित किये जाने सम्बन्धी पत्र से अवगत होना ।

कार्य परिषद् ने उक्त पत्र से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

58.

अधिसूचना संख्या-1091/सा0प्र0/2022 दिनांक 04.09.2022 के द्वारा मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में विश्वविद्यालय के विरुद्ध योजित होने वाले वादों में विश्वविद्यालय का पक्ष उपस्थापित करने हेतु अधिवक्ता नामित करने सम्बन्धी निर्गत अधिसूचना पत्रांक-251/सा0प्र0/2021 दिनांक 03.04.2021 के क्रम में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को भी पैनल में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना से अवगत होना । (प्रतिलिपि संलग्न)

क्र.स.	नामित अधिवक्ता का नाम व पता	पद	
1	श्री विनायक वर्मा 5, पोन्नप्पा रोड, न्यू कैंट, प्रयागराज मोबाइल-9335155141	पैनल अधिवक्ता	मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित होने वाले वादों हेतु
2	श्री प्रांजल सिंह 34, 276/89(21) म्योर रोड, नीयर आशा हास्पिटल प्रयागराज-211001 मोबाइल-8130579630	पैनल अधिवक्ता	

कार्य परिषद् ने उक्त अधिसूचना से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

59.


कार्यालय आदेश संख्या-1114/सा0प्र0/2022 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 रविशंकर सिंह, अध्यक्ष भौतिकी विभाग को अपने दायित्वों के अतिरिक्त अन्य कोई आदेश होने तक फ़ैकल्टी ऑफ़ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी के अधिष्ठाता के रूप में नामित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना ।

कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

60.

कार्यालय आदेश संख्या-483/वि0अ0/2022 दिनांक 15.09.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 15.09.2022 के अनुपालन में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.11.2020 के बिन्दु संख्या-40(1) में लिये गये निर्णय एवं विश्वविद्यालय के अधिनियम 26(1) घ के अधीन विश्वविद्यालय के परिणियम 49 (6.01) के अन्तर्गत श्री धर्मेन्द्र प्रकाश त्रिपाठी, सेवानिवृत्त वित्त

	अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर को कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में आदेश की तिथि से 01 वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक जो भी पहले हो तक के लिये वित्त समिति का सदस्य नामित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
61.	कार्यालय आदेश संख्या-1198/सा0प्र0/2022 दिनांक 07.10.2022 के द्वारा भा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 07.10.2022 के अनुपालन में डॉ0 केशव सिंह, सहयुक्त आचार्य, प्राणि विज्ञान विभाग का राष्ट्रीय सेवा योजना के अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक के रूप दिनांक 05.10.2022 को 04 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत जब तक किसी राष्ट्रीय सेवा योजना के अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति होने अथवा अन्य कोई आदेश होने तक के लिए डॉ0 जितेन्द्र कुमार, सहायक आचार्य, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग (कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना) को राष्ट्रीय सेवा योजना के अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक के दायित्व निर्वहन हेतु नामित किया जाता है। नियमानुसार डॉ0 जितेन्द्र कुमार को मानदेय के रूप में रू0 800/- प्रतिमाह देय होने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
62.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।
1.	कार्य परिषद ने सीधी भर्ती के अन्तर्गत सहायक आचार्य, सहयुक्त आचार्य, आचार्य पदों (वनस्पति विज्ञान, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस, वाणिज्य, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, राजनीति विज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स) के चयन समिति के सीलबन्द लिफाफों के खोले जाने तथा उनकी संस्तुतियों पर विचार किया। <u>वनस्पति विज्ञान विभाग-</u>
1.(a)	कार्य परिषद ने वनस्पति विज्ञान विभाग में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के 02 पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 26 अक्टूबर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद ने चयन समिति की बैठक दिनांक 26 अक्टूबर 2022 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए वनस्पति विज्ञान विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के दो पदों पर वेतनमान रू0 1,31,400-2,17,100 लेवल13ए (ग्रेड पे रू0 9,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की- 1. डॉ0 रामवंत गुप्ता पुत्र श्री एच0एन0 गुप्ता 2. डॉ0 अभय कुमार पुत्र डॉ0 रामवृक्ष चन्द
1.(b)	कार्यपरिषद ने वनस्पति विज्ञान विषय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 26 अक्टूबर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा वनस्पति विज्ञान विषय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद के लिए उपस्थित अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।
1.(c)	कार्य परिषद ने वनस्पति विज्ञान विषय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के 01 पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 26 अक्टूबर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद ने चयन समिति की बैठक दिनांक 26 अक्टूबर 2022 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए वनस्पति विज्ञान विषय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के 01 पद पर वेतनमान रू0 1,31,400-2,17,100 लेवल13ए (ग्रेड पे रू0 9,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत डॉ0 अशोक कुमार पुत्र श्री संत लाल को नियुक्ति प्रदान की।
1.(d)	कार्य परिषद ने वनस्पति विज्ञान विषय में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के 01 पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 26 अक्टूबर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा वनस्पति विज्ञान विषय में अन्य पिछड़ा वर्ग के



अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के एक पद के लिए उपस्थित अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अर्थशास्त्र विभाग-

1.(e)

कार्यपरिषद् ने अर्थशास्त्र विषय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2022 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अर्थशास्त्र विषय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पदों पर वेतनमान रु0 57,700-1,82,400 लेवल10 (ग्रेड पे रु0 6,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की।

1. डॉ0 वन्दना अहिरवार पुत्री श्री सुरेश चन्द्र अहिरवार
2. डॉ0 मनीष कुमार पुत्र श्री रामभवन

1.(f)

कार्य परिषद् ने अर्थशास्त्र विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के 01 पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2022 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अर्थशास्त्र विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के 01 पद पर वेतनमान रु0 1,31,400-2,17,100 लेवल13ए (ग्रेड पे रु0 9,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत डॉ0 सत्यपाल सिंह पुत्र, डॉ0 गजेन्द्र पाल सिंह को नियुक्ति प्रदान की।

अर्थशास्त्र विषय में आचार्य संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 01 पद पर विज्ञापन किया गया। जिसपर कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ, जिसपर साक्षात्कार आमंत्रित नहीं किया गया।

*

अर्थशास्त्र विषय में सहयुक्त आचार्य में 01 अनारक्षित एवं 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग में विज्ञापित किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के 01 पद पर मात्र 02 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिसमें 01 अभ्यर्थी अर्ह पाया गया, जिसे साक्षात्कार में आमंत्रित नहीं किया गया।

1.(g)

कम्प्यूटर साइंस विभाग

कार्यपरिषद् ने कम्प्यूटर साइंस विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 29 अक्टूबर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा कम्प्यूटर साइंस विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद के लिए उपस्थित अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

1.(h)

वाणिज्य विभाग

कार्यपरिषद् ने वाणिज्य विषय में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 30 अक्टूबर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 30 अक्टूबर 2022 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए वाणिज्य विषय में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान रु0 57,700-1,82,400 लेवल10 (ग्रेड पे रु0 6,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत डॉ0 राहुल मिश्रा पुत्र श्री सुकेश मिश्रा को नियुक्ति प्रदान की।

*

वाणिज्य विषय में आचार्य के 01 अनारक्षित पद पर विज्ञापन किया गया जिसके सापेक्ष 06 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसमें 02 अभ्यर्थी अर्ह पाये गये। जिसपर साक्षात्कार आमंत्रित नहीं किया गया।


वाणिज्य विषय में सहयुक्त आचार्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 01 पद पर विज्ञापन किया गया। जिसके सापेक्ष मात्र 06 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिसमें केवल 02 ही अभ्यर्थी अर्ह पाये गये, जिसपर साक्षात्कार आमंत्रित नहीं किया गया।

1.(i)

रसायन विज्ञान विभाग-

कार्यपरिषद् ने रसायन विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 01 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 01 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों को स्वीकार करते



- हुए रसायन विज्ञान विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद पर वेतनमान रु0 1,44,200-2,18,200 लेवल14 (ग्रेड पे रु0 10,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत डॉ0 राम आसारे सिंह पुत्र स्व0 रामफेर सिंह को नियुक्ति प्रदान की।
- 1.(j) कार्यपरिषद् ने रसायन विज्ञान विषय में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 01 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया।
कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 01 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए रसायन विज्ञान विषय में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पदों पर वेतनमान रु0 57,700-1,82,400 लेवल10 (ग्रेड पे रु0 6,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—
1. डॉ0 कामिनी सिंह पुत्री श्री रामसमुद्र सिंह
2. डॉ0 इन्देश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री उमेश पाण्डेय
- 1.(k) कार्यपरिषद् ने रसायन विज्ञान विषय में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 01 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया।
कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 01 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए रसायन विज्ञान विषय में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान रु0 57,700-1,82,400 लेवल10 (ग्रेड पे रु0 6,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत डॉ0 गिरिजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रमार्शंकर वर्मा को नियुक्ति प्रदान की।
- * रसायन विज्ञान विषय में सहयुक्त आचार्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 02 पदों पर विज्ञापन किया गया परन्तु उक्त विज्ञापन के सापेक्ष मात्र 02 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसमें 01 अभ्यर्थी अर्ह पाया गया। अतः साक्षात्कार आमंत्रित नहीं किया गया।
प्राणि विज्ञान विभाग—
- 1.(l) कार्य परिषद् ने प्राणि विज्ञान विषय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के 02 पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 02 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया।
कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 02 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्राणि विज्ञान विषय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के दो पदों पर वेतनमान रु0 1,31,400-2,17,100 लेवल13ए (ग्रेड पे रु0 9,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—
1. डॉ0 महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री नेकराम
2. द्वितीय पद हेतु कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं पाया गया।
- 1.(m) कार्य परिषद् ने प्राणि विज्ञान विषय में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के 01 पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 02 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया।
कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा प्राणि विज्ञान विषय में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के एक पद के लिए उपस्थित अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।
- 1.(n) कार्यपरिषद् ने प्राणि विज्ञान विषय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 02 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया।
कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 02 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्राणि विज्ञान विषय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान रु0 57,700-1,82,400 लेवल10 (ग्रेड पे रु0 6,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत डॉ0 सुनैना गौतम पुत्री श्री यमुना प्रसाद गौतम को नियुक्ति प्रदान की—
- 1.(o) कार्यपरिषद् ने प्राणि विज्ञान विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के 02 पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 02 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 02 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्राणि विज्ञान विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के 02 पदों पर वेतनमान रु 57,700-1,82,400 लेवल 10 (ग्रेड पे रु 6,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की-

1. डॉ० स्मिता सिंह पुत्री श्री दामोदर सिंह
2. डॉ० अरुंधती सिंह पुत्री श्री परमार्थ सिंह

1.(p) कार्यपरिषद् ने प्राणि विज्ञान विषय में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के 01 पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 02 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 02 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्राणि विज्ञान विषय में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के 01 पद पर वेतनमान रु 57,700-1,82,400 लेवल 10 (ग्रेड पे रु 6,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत डॉ० मनीष प्रताप सिंह पुत्र श्री सन्त बक्श सिंह को नियुक्ति प्रदान की।

1.(q) कार्यपरिषद् ने प्राणि विज्ञान विषय में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के 01 पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 02 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 02 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्राणि विज्ञान विषय में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के 01 पद पर वेतनमान रु 57,700-1,82,400 लेवल 10 (ग्रेड पे रु 6,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत डॉ० सुनील कुमार सिंह पुत्र स्व० रामनाथ सिंह को नियुक्ति प्रदान की।

राजनीति विज्ञान विभाग-

1.(r) कार्य परिषद् ने राजनीति विज्ञान विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आचार्य के 01 पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 03 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा राजनीति विज्ञान विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद के लिए उपस्थित अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

1.(s) कार्य परिषद् ने राजनीति विज्ञान विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के 01 पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 03 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा राजनीति विज्ञान विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के एक पद के लिए उपस्थित अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

* राजनीति विज्ञान विषय में आचार्य के 02 पद- 01 अनारक्षित एवं 01 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का पद विज्ञापित हुआ। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 01 पद पर कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ जिसपर साक्षात्कार आमंत्रित नहीं किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग-

1.(t) कार्य परिषद् ने इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आचार्य के 01 पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 03 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद के लिए उपस्थित अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

1.(u) कार्य परिषद् ने इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के 01 पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 03 नवम्बर 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के एक पद के लिए उपस्थित अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस

	पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।
2.	कार्य परिषद् ने कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत (प्राणि विज्ञान, वाणिज्य व राजनीति विज्ञान) के चयन समिति के सीलबन्द लिफाफों के खोले जाने तथा उनकी संस्तुतियों पर विचार किया। <u>वाणिज्य विभाग-</u>
2.(a)	कार्यपरिषद् ने वाणिज्य विभाग में कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण-4 ग्रेड पे रु0 9,000/-से आचार्य चरण-5 ग्रेड पे रु0 10,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 30 अक्टूबर, 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत डॉ0 मनीष कुमार श्रीवास्तव, वाणिज्य विभाग को उनकी अर्हता तिथि से सहयुक्त आचार्य चरण 4 से आचार्य चरण-5 वेतनमान रु0 1,44,200-2,18,200 लेवल 14 (ग्रेड पे रु0 10,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की। <u>रसायन विज्ञान विभाग-</u>
2.(b)	कार्यपरिषद् ने रसायन विज्ञान विभाग में कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण-4 ग्रेड पे रु0 9,000/-से आचार्य चरण-5 ग्रेड पे रु0 10,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत निम्नलिखित को उनकी अर्हता तिथि से सहयुक्त आचार्य चरण 4 से आचार्य चरण-5 वेतनमान रु0 1,44,200-2,18,200 लेवल14 (ग्रेड पे रु0 10,000/-)में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की- 1. डॉ0 सोम शंकर पुत्र श्री प्रेम शंकर दूबे 2. डॉ0 निखिल कांत शुक्ला पुत्र प्रो0 जी0एस0 शुक्ल 3. डॉ0 नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व0 शिव प्रसाद 4. डॉ0 अखिलेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र डॉ0 एम0एल0 श्रीवास्तव
2.(c)	<u>प्राणि विज्ञान विभाग-</u> कार्यपरिषद् ने प्राणि विज्ञान विभाग में कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण-4 ग्रेड पे रु0 9,000/-से आचार्य चरण-5 ग्रेड पे रु0 10,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 02 नवम्बर, 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत डॉ0 केशव सिंह, प्राणि विज्ञान विभाग को उनकी अर्हता तिथि से सहयुक्त आचार्य चरण 4 से आचार्य चरण-5 वेतनमान रु0 1,44,200-2,18,200 लेवल14 (ग्रेड पे रु0 10,000/-)में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।
2.(d)	कार्यपरिषद् ने प्राणि विज्ञान विषय में डॉ0 एस0के0 तिवारी को कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत सहायक आचार्य चरण 3, ग्रेड पे रु0 8,000/- से सहयुक्त आचार्य चरण-4 ग्रेड पे रु0 9,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 02 नवम्बर, 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत प्राणि विज्ञान विषय में डॉ0 एस0के0 तिवारी, को चरण 3 ग्रेड पे रु0 8,000/- से सहयुक्त आचार्य चरण-4 वेतनमान रु0 1,31,400-2,17,100 लेवल13 ए (ग्रेड पे रु0 9,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति उनकी अर्हता तिथि से प्रदान की।
2.(e)	<u>प्राचीन इतिहास विभाग-</u> कार्यपरिषद् ने प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में डॉ0 रामप्यारे मिश्र को कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत सहायक आचार्य चरण 3, ग्रेड पे रु0 8,000/- से सहयुक्त आचार्य चरण-4 ग्रेड पे रु0 9,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 02 अगस्त, 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में डॉ0 रामप्यारे मिश्र, को चरण 3 ग्रेड पे रु0 8,000/- से सहयुक्त आचार्य चरण-4 वेतनमान रु0 1,31,400-2,17,100 लेवल13 ए (ग्रेड पे रु0 9,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति उनकी अर्हता तिथि से प्रदान की।

2(f)	<p>कार्यपरिषद् ने राजनीति विज्ञान विभाग में कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण-4 ए0जी0पी0 रु0 9,000/-से आचार्य चरण-5 ए0जी0पी0 रु0 10,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2022 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत डॉ0 निशा जायसवाल, राजनीति विज्ञान विभाग को उनकी अर्हता तिथि से सहयुक्त आचार्य चरण 4 से आचार्य चरण-5 वेतनमान रु0 1,44,200-2,18,200 लेवल14 (ग्रेड पे रु0 10,000/-) में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।</p>
3.	<p>कार्यालय ज्ञाप संख्या-1284/सा0प्र0/2022 दिनांक 05/11/2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 05.11.2022 के क्रम में कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की प्रथम परिनियमावली के परिनियम की धारा 02.26 के अन्तर्गत प्रो0 गोपाल प्रसाद, आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग को कार्यभार ग्रहण तिथि से एक वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए नियन्ता पद पर नियुक्त प्रदान किये जाने सम्बन्धी ज्ञाप से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त ज्ञाप से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
4.	<p>कार्यालय आदेश संख्या-1285/सा0प्र0/2022 दिनांक 05.11.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 05.11.2022 के अनुपालन में प्रो0 दीपक प्रकाश त्यागी, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग को विभागाध्यक्ष दर्शनशास्त्र के पद के दायित्वों से मुक्त करते उनके स्थान पर प्रो0 गोपाल प्रसाद, आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग को नियमित विभागाध्यक्ष की नियुक्ति अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये दर्शनशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन करने हेतु नामित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
5.	<p>कार्यालय आदेश संख्या-810/सा0प्र0/2022 दिनांक 04.06.2022 के द्वारा प्रो. शफीक अहमद, पूर्व आचार्य, सामाजशास्त्र विभाग के पत्र दिनांक 20.12.2021 पर मा0 कुलपति जी आदेश के अनुपालन में मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 27.09.2021 के बिन्दु संख्या-16 के द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रो0 शफीक अहमद, पूर्व आचार्य सामाजशास्त्र विभाग का चयन जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में हो जाने के कारण उनका तकनीकी त्यागपत्र दिनांक 16.10.2020 अपराहन से स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
6.	<p>कार्यालय आदेश संख्या-1277/सा0प्र0/2022 दिनांक 03.11.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 03.11.2022 के अनुपालन में डॉ0 प्रशान्त शाही, सहायक आचार्य, भौतिकी विभाग को लैब इंस्टीट्यूट फॉर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, टोक्यो विश्वविद्यालय, जापान में इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस फेलोशिप प्रोग्राम में सम्मिलित होने हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 16.12.02 के (i) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मा0 कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 12.11.2022 से दिनांक 11.05.2023 तक अध्ययन अवकाश (Study Leave) स्वीकृत किया जाता है। उक्त अध्ययन अवकाश के पश्चात अगले दो वर्ष तक किसी प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय अवकाश देय नहीं होगा सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। (प्रतिलिपि संलग्न) (उक्त से सम्बन्धित प्रकरण बिन्दु संख्या-42 पर उल्लिखित है।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
7.	<p>कार्य परिषद ने शैक्षिक सत्र 2022-23 में सम्बद्धता विस्तारण प्राप्त (बी0एड0) के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों की सूची के अनुमोदन पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने शैक्षिक सत्र 2022-23 में सम्बद्धता विस्तारण प्राप्त (बी0एड0) के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों की सूची को अनुमोदित किया।</p>
8.	<p>कार्यालय आदेश संख्या-496/सा0प्र0/2022 दिनांक 21.04.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 शुभम सिंह, सहा0 आचार्य, अंग्रेजी विभाग का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पत्रांक 05/R/664/2022 दिनांक 08.04.2022 के तहत सहायक आचार्य पद पर अंग्रेजी विभाग में नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 16.19 एवं उसके विभिन्न उपबन्धों 16.19 (ii d) एवं 16.19 (iii) के अधीन कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 22.04.2022 से दो वर्ष तक के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>

9.	<p>कार्यालय आदेश संख्या--786/सा0प्र0/2022 दिनांक 07.07.2022 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 सीमा मिश्रा, सहा0 आचार्य, रसायन विभाग का लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में सहयुक्त आचार्य पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 16.19 एवं उसके विभिन्न उपबन्धों 16.19 (ii d) एवं 16.19 (iii) के अधीन कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 02.07.2022 से एक वर्ष तक के लिए असाधारण अचैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
10.	<p>कार्य परिषद ने 2018 में रसायनशास्त्र विभाग में चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण न किये जाने पर प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या-2 पर अंकित डॉ0 ज्ञानेश्वर कुमार राव द्वारा नियुक्ति किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज में दायर याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिंह के पत्र दिनांक 08.11.2021 पर विधि सलाहकार द्वारा दी गयी आख्या दिनांक 05.11.2022 पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद ने वर्ष 2018 में रसायनशास्त्र विभाग में चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण न किये जाने पर प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या-2 पर अंकित डॉ0 ज्ञानेश्वर कुमार राव द्वारा नियुक्ति किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज में दायर याचिका के प्रकरण पर मा0 उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिंह के पत्र दिनांक 08.11.2021 द्वारा दी गई सलाह से अवगत हुई जो निम्नवत् है-</p> <p>I have perused the Writ petition filed by Dr. Gyandshwar Kumar Rao, the Judgment dated 18.1.2019 passed by single Judge, in Writ petition No.27160/2018 Venkatesh Kumar Pandey Versus State of U.P. and others and the record of Special Appeal No. 263/2019 Vice-Chancellor Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University Vs. Venkatesh Kumar Pandey. The interim-order of status-quo in Special Appeal and others material on record.</p> <p>I am of the considered view that the case of Dr. Gyandshwar Kumar Rao is quite distinct from the case of Venkatesh Kumar Pandey, as he has got Judgment in his favour from learned Single Judge, and there is status-quo order in Special Appeal filed by the University.</p> <p>However in case of Dr. Gyandshwar Kumar Rao there is no interim-order in his favour and, he is at serial no.2 in the waiting list and in view of the fact, the Namtra singh has joined and later on resigned and hence, Dr. Gyandshwar Kumar Rao has no right in View of Judgment of Hon'ble Apex Court in Manoj Manu and another Vs. Union of India 2021 (Vol.12) SCC 171. It is evidently clear that Dr. Gyandshwar Kumar Rao being at serial no.2 in waiting list, does not have any right on the post. Subsequently as there is no interim order in Writ Petitions filed by Dr. Gyandshwar Kumar Rao.</p> <p>The post of (Chemistry Subject) against which Dr. Rakesh Kumar Mishra was selected has been advertized in year 2019 and in year 2021. Thus fresh selection has to take place, hence no right of Dr. Gyandshwar Kumar Rao survive. Opinion accorded accordingly.</p> <p>This Opinion is advisory in nature, it would have no binding effect.</p> <p>डॉ0 ज्ञानेश्वर कुमार राव के प्रकरण पर अद्यतन स्थिति "यह कि डॉ0 ज्ञानेश्वर राव ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक अन्य रिट याचिका ए सं0 11687/2022 डॉ0 ज्ञानेश्वर कुमार राव बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं 03 अन्य दाखिल किया गया था जो मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 08.09.2022 द्वारा निरस्त कर दिया है।" से भी अवगत हुई।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने उक्त दी गई सलाह पर अपनी सहमति व्यक्त की।</p>
11.	<p>स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में सहायक आचार्य (संविदा) एवं गेस्ट फ़ैकल्टी (प्रति व्याख्यान के आधार पर) उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विनियम 2000 के अनुसार नियुक्ति की सूचना से अवगत होना। कार्य परिषद ने स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में सहायक आचार्य (संविदा) एवं गेस्ट फ़ैकल्टी (प्रति व्याख्यान के आधार पर) उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विनियम 2000 के अनुसार नियुक्ति की सूचना से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
12.	<p>स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के निदेशक एवं सह निदेशक नियुक्ति किये जाने की सूचना से अवगत होना। कार्य परिषद ने स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के निदेशक एवं सह निदेशक नियुक्ति किये जाने की सूचना से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
13.	<p>कृषि एवं इंजीनियरिंग संकाय एवं स्ववित्तपोषित अन्य पाठ्यक्रमों में सहायक आचार्य (संविदा) एवं गेस्ट फ़ैकल्टी पर पूर्व में नियुक्त सभी शिक्षकों का वर्तमान सत्र में पुनः 11 महीने के लिए नवीनीकरण/विस्तरीकरण किये जाने से अवगत होना। कार्य परिषद ने कृषि एवं इंजीनियरिंग संकाय के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में संविदा एवं गेस्ट फ़ैकल्टी पर सभी शिक्षकों एवं गैर-शिक्षणोत्तर कर्मियों की नियुक्ति 11 महीने हेतु किये जाने का निर्णय दिया। अग्रेतर सत्र में संविदा एवं गेस्ट फ़ैकल्टी पर नियुक्त कर्मियों का नवीनीकरण एवं विस्तरीकरण नहीं किया जाता है तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा। यह व्यवस्था विश्वविद्यालय के सभी स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के साथ ही विधि</p>


(Handwritten signatures)

	विभाग में कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ताओं पर भी प्रभावी होगा।
14.	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी में अस्थायी 11 महीने के लिए निदेशक की नियुक्ति की सूचना से अवगत होना। कार्य परिषद ने इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी में अस्थायी 11 महीने के लिए निदेशक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि यदि 11 महीने पश्चात उपरोक्त पद का नवीनीकरण/विस्तरीकरण नहीं हुआ तो उक्त आदेश स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
15.	इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड नेचुरल साइंसेस में अस्थायी 11 महीने के लिए निदेशक एवं एडवाजर की नियुक्ति की सूचना से अवगत होना। कार्य परिषद ने इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड नेचुरल साइंसेस में अस्थायी 11 महीने के लिए निदेशक एवं एडवाजर की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि यदि 11 महीने पश्चात उपरोक्त पद का नवीनीकरण/विस्तरीकरण नहीं हुआ तो उक्त आदेश स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
16.	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी में संविदा/अस्थायी 11 महीने के लिए आई0टी0 अधिकारी व प्लेसमेंट और प्रशिक्षण अधिकारी के नियुक्ति तथा इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड नेचुरल साइंसेस में हार्टिकल्चर/लैण्डस्केप अधिकारी के नियुक्ति की सूचना से अवगत होना। कार्य परिषद ने इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी में संविदा/अस्थायी शब्द के चर्चा उपरांत संविदा शब्द को हटाते हुये अस्थायी शब्द रखते हुये 11 महीने के लिए आई0टी0 अधिकारी व प्लेसमेंट और प्रशिक्षण अधिकारी के नियुक्ति तथा इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड नेचुरल साइंसेस में हार्टिकल्चर/लैण्डस्केप अधिकारी के नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि यदि 11 महीने पश्चात उपरोक्त पद का नवीनीकरण/विस्तरीकरण नहीं हुआ तो उक्त आदेश स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
17.	पूर्वाचल इन्व्यूबेशन काउंसिल (पी0आई0सी0) दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संस्तुति से सी0ई0ओ0, प्रबन्धक, प्रबन्धक जीरो वेस्ट मैनेजमेंट व ए0पी0आर0ओ0 की नियुक्ति की सूचना से अवगत होना। कार्य परिषद ने पूर्वाचल इन्व्यूबेशन काउंसिल (पी0आई0सी0) दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संस्तुति से सी0ई0ओ0, प्रबन्धक, प्रबन्धक जीरो वेस्ट मैनेजमेंट व ए0पी0आर0ओ0 की नियुक्ति की सूचना से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
18.	कार्य परिषद ने वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 04.11.2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 04.11.2022 की संस्तुतियों को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करते हुये वित्त अधिकारी को निर्देशित किया कि वित्त समिति में रखे गये बजट एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के शुल्क संरचना को एक साथ संग्रहित करते हुये 2 सप्ताह के भीतर कार्य परिषद के सदस्यों को अवगत कराने का कष्ट करें। साथ ही बजट सम्बन्धी आय-व्यय का विवरण प्रत्येक तीन माह पर समीक्षा करते रहें।
19.	कार्य परिषद ने प्रो. कमलेश कुमार गुप्त, निलम्बित आचार्य, हिन्दी विभाग के प्रकरण पर जांच समिति की आख्या से अवगत होना एवं जांच समिति की संस्तुति के आधार पर निलम्बन की कार्यवाही किये जाने से अवगत होना तथा एवं अनुशासनात्मक समिति गठित किये जाने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने प्रो. कमलेश कुमार गुप्त, निलम्बित आचार्य, हिन्दी विभाग के प्रकरण पर जांच समिति की आख्या से अवगत होना एवं जांच समिति की संस्तुति के आधार पर निलम्बन की कार्यवाही किये जाने से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की साथ ही इनके विरुद्ध परिनियम के भाग-49 की धारा-8.10 में दी गई व्यवस्था के अनुसार कुलपति जी की अध्यक्षता में एक अनुशासनात्मक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया।
20.	कार्य परिषद ने प्रो0 अजय कुमार गुप्ता, आचार्य, वाणिज्य विभाग व प्रो0 उमेश नाथ त्रिपाठी, आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग को दिये गये कारण बताओ नोटिस की जानकारी और अधिनियम और परिनियम के अनुसार अनुशासनात्मक समिति गठित किये जाने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने प्रो0 अजय कुमार गुप्ता, आचार्य, वाणिज्य विभाग व प्रो0 उमेश नाथ त्रिपाठी, आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग को दिये गये कारण बताओ नोटिस की जानकारी और अधिनियम और परिनियम के भाग-49 की धारा-8.10 में दी गई व्यवस्था के अनुसार कुलपति जी की अध्यक्षता में एक अनुशासनात्मक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया।
21.	निदेशक, आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा NAAC के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही तथा SSR के अप्रूवल

	की दी गयी जानकारी से अवगत होना। कार्यपरिषद ने उक्त से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।
22.	NIRF में पंजीकरण कराये जाने की सूचना से अवगत होना। कार्यपरिषद ने उक्त सूचना से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।
23.	दिनांक 06.11.2022 को कुलपति जी की अध्यक्षता में मा0 कार्य परिषद के तीन सदस्यों (श्री अनिल कुमार सिंह, प्रो0 रामअचल सिंह एवं डॉ0 प्रदीप कुमार राव), वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव के साथ बैठक की गयी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार एवं राजभवन द्वारा सी0बी0सी0एस0 पाठ्यक्रम, नयी शिक्षा नीति 2020 एवं शासन द्वारा नए संकायों के गठन के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों को विश्वविद्यालय के परिनियमावली एवं अध्यादेश में यथारथान समाहित करने हेतु प्रो0 रामअचल सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय। समिति के अन्य सदस्यों का प्रस्ताव प्रो0 रामअचल सिंह द्वारा किया जायेगा। समिति के अध्यक्ष को समय-समय पर सलाह दिशा-निर्देश प्राप्त करने एवं सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञ को आमंत्रित करने का अधिकार होगा। कार्यपरिषद ने उक्त से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।
24.	कार्य परिषद ने कार्यालय आदेश संख्या-892/सा0प्र0/2021 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 16.10.2021 के अनुपालन में प्रो0 विनय कुमार सिंह, आचार्य, प्राणि विज्ञान विभाग, को केन्द्रीय ग्रंथालय के मानद ग्रंथालय के पद पर एक वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया जाता है। मानद ग्रंथालयी के प्रभार के लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन भत्ते आदि अनुमन्य नहीं होंगे सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।

कुलसचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह0/
कुलपति


कुलसचिव



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक: 30.04.2022 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० राजेश सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० विनय कुमार पाण्डेय	सदस्य
3.	प्रो० गोपाल प्रसाद	सदस्य
4.	प्रो० सुनीता मूर्मू	सदस्य
5.	प्रो० दिग्विजय नाथ (आनलाइन उपस्थित)	सदस्य
6.	प्रो० धनंजय कुमार	सदस्य
7.	प्रो० आनन्द सेन गुप्ता	सदस्य
8.	डॉ० उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी	सदस्य
9.	डॉ० राजू कुमार गुप्ता	सदस्य
10.	डॉ० विजय प्रताप उपाध्याय	सदस्य
11.	डॉ० अजय कुमार मिश्र	सदस्य
12.	प्रो० रामअचल सिंह	सदस्य
13.	प्रो० वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी (आनलाइन उपस्थित)	सदस्य
14.	प्रो० कल्पलता पाण्डेय	सदस्य
15.	श्री अनिल कुमार सिंह	सदस्य
16.	श्री संत प्रकाश सिंह,	वित्त अधिकारी
17.	श्री विशेष्वर प्रसाद, कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे मा० कुलपति जी के साथ-साथ कार्य परिषद् के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य प्रो० नन्दिता आई०पी० सिंह, अधिष्ठाता, कला संकाय, प्रो० प्रदीप कुमार यादव, आचार्य, रक्षा एवं स्नातकोत्तर अध्ययन विभाग, प्रो० चन्द्रभूषण गुप्ता, आचार्य, इतिहास विभाग, प्रो० विनय कुमार पाण्डेय, आचार्य, वाणिज्य विभाग, डॉ० अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, सहयुक्त आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग, डॉ० राजवीर सिंह, सहायक आचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग, डॉ० प्रदीप कुमार राव, प्राचार्य, महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगलधूसड़ गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया एवं नवनामित सदस्य, प्रो० गोपाल प्रसाद, आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग, प्रो० सुनीता मूर्मू, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, प्रो० दिग्विजय नाथ, आचार्य, प्राचीन इतिहास विभाग, प्रो० धनंजय कुमार, आचार्य, मनोविज्ञान विभाग, प्रो० आनन्द सेन गुप्ता, आचार्य, वाणिज्य विभाग, डॉ० उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सहयुक्त आचार्य, कम्प्यूटर साइंस विभाग, डॉ० राजू कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, एवं डॉ० प्रदीप कुमार राव, प्राचार्य, महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। इसके पश्चात कुलसचिव द्वारा मा० कुलपति जी के निर्देश पर कार्यसूची क्रमशः पटल पर विचारार्थ प्रस्तुत की गयी।


कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1	कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.04.2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.04.2022 की संस्तुतियों का स्वीकार किया।
2	कार्य परिषद् ने दिनांक 30 अप्रैल से 2 मई 2022 के मध्य सम्पन्न होने वाले पुरातन छात्र-सम्मेलन (Alumni Meet) के आयोजन एवं उसमें दिये जाने वाले विशिष्ट अल्यूमिनस पुरस्कार दिये जाने के सम्बन्ध में विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने दिनांक 30 अप्रैल से 2 मई 2022 के मध्य सम्पन्न होने वाले पुरातन छात्र-सम्मेलन (Alumni Meet) के आयोजन एवं उसमें दिये जाने वाले 34 एलुमिनाई को विशिष्ट अल्यूमिनस पुरस्कार दिये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की।
3	कार्य परिषद् ने भौतिक विभाग के संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति स्व० प्रो० देवेन्द्र शर्मा तथा भौतिकी विभाग के अति विशिष्ट पूर्व छात्र मा० राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार के नाम पर दो स्वर्ण पदक दिये जाने के सम्बन्ध में विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने भौतिक विभाग के संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति स्व० प्रो० देवेन्द्र शर्मा की स्मृति में स्नातकोत्तर भौतिकी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को तथा विज्ञान संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को भौतिकी विभाग के अति विशिष्ट पूर्व छात्र मा० राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार के नाम से सम्मान स्वर्ण पदक दिये हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।
4	कार्य परिषद् ने वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 29.04.2022 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 29.04.2022 की संस्तुतियों को इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि आगामी वित्तीय वर्ष में आय-व्ययक अनुमान बजट को 31 मार्च के अन्दर वित्त समिति एवं कार्य परिषद् से पारित करा लिया जाय।
5.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार
5 (1)	कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.12.2021 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.12.2021 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।

प्रो० कल्पलता पाण्डेय, कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया द्वारा विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे प्रथम राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन कराने के लिये मा० कुलपति जी की प्रशंसा की साथ ही स्थानीय क्षेत्र के नागरिक जो किसी न किसी क्षेत्र में अपने जिले का नाम रौशन कर रहे हैं उनके सम्मान में "लीजेंड ऑफ बलिया" की तर्ज पर गोरखपुर क्षेत्र के नागरिकों के लिये "लीजेंड ऑफ गोरखपुर" का आयोजन किये जाने का सुझाव दिया।

कुलसचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह० /
कुलपति


कुलसचिव